बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0,

"खाद्य भवन", दारोगा प्रसाद राय पथ, आर0 ब्लॉक, रोड नं0-2, पटना-800001

कार्यालय आदेश

श्री चन्देश्वर नारायण ठाकुर, तत्कालीन प्रभारी सहायक प्रबंधक, सम्प्रति सेवा निवृत चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी राज्य खाद्य निगम, पटना के द्वारा संचालित टी0पी0डी0एस0 गोदाम खुसरूपुर एवं पुनपुन, पटना में निगम मुख्यालय, पटना के अंकेक्षण द्वारा जाँच के पश्चात् समर्पित प्रतिवेदन दिनांक-20.02.12 में अंकित किया गया कि श्री ठाकुर, द्वारा गोदाम के अभिलेखों में भारी गड़बडी एवं भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिनांक-14.07.12 को टी0पी0डी0एस0 गोदाम पुनपुन को ट्रक चालान सं-718131एवं गाड़ी सं-BHA-5325 एवं चालान सं-718132 गाड़ी सं-BRP-4527 प्रेषित की गयी थी, जिसकी प्रविष्टी गोदाम के आगत पंजी में की गयी, परन्तु भंडार पंजी में नहीं कर अनुदानित खाद्यान्न का गबन किया गया। श्री ठाकुर के विरूद्ध टी0पी0डी0एस0 गोदाम खुसरूपुर एवं पुनपुन राज्य खाद्य निगम, जिला पटना में की गयी अनियमितता एवं गबन के लिए पुनपुन थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी जिसका कांड संख्या-68/13 दिनांक-15.04.13 एवं खुसरूपुर थाना में दर्ज प्राथमिकी कांड सं-31/13 दिनांक-16.04.13 है।

जिला प्रबंधक, पटना के पत्रांक-1153 दिनांक-18.04.13 के आलोक में श्री ठाकुर के विरूद्ध अनुदानित खाद्यान्न के गबन/अनियमितता के लिए प्राथमिकी दर्ज होने के कारण निगम मुख्यालय आदेश ज्ञापांक-6146 दिनांक-23.07.13 से प्रभाव से निलंबित किया गया। श्री ठाकुर को जिला प्रबंधक, पटना के द्वारा पत्रांक-504 दिनाक-02.09.13, 66 दिनांक-17.01.13, 1664 दिनांक-08.06.13, 2310 दिनांक-18.08.13 एवं निगम मुख्यालय, पटना के पत्रांक-2983 दिनांक-17.10.13 के द्वारा गोदाम से संबंधित अभिलेख कार्यालय में समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया। जो श्री ठाकुर द्वारा कार्यालय में जमा नहीं कराया गया।

निगम मुख्यालय पत्रांक-3542 दिनांक-27.03.15 से श्री ठाकुर के विरूद्ध गोदाम के लेखा पंजी की जाँच नहीं कराने, गोदाम से संबधित अभिलेखों का प्रभार नहीं सौपने, कार्यालय में भंडार निर्गमादेश की प्रतियाँ जमा नहीं कराने एवं टी0पी0डी0एस0 गोदाम पुनपुन में दो ट्रक खाद्यान्न यथा 1776.60.600 क्वी0 अनुदानित खाद्यान्न के गबन एवं अन्य आरोपों के लिए आरोप पत्र गठित कर एक पक्ष के अन्दर श्री ठाकुर को बचाव पत्र समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया।

श्री ठाकुर के द्वारा गठित आरोप पत्र के विरूद्ध निगम मुख्यालय, पटना में दिनांक-06.05.15 को अपना बचाव पत्र समर्पित करते हुए अंकित किया गया कि इनके द्वारा कार्य के अतिरिक्त बोझ के कारण अभिलेखों की जाँच में विलम्ब होता था एवं प्राथमिकी दर्ज होने के उपरान्त इनकी कार्य से अनुपस्थित के कारण इनके द्वारा संचालित गोदाम का प्रभार इन्भेन्ट्री के माध्यम से अन्य सहायक प्रबंधक को दिलाया गया। जबकि इनके गोदाम का स्टॉक पूर्ण था। श्री ठाकुर द्वारा दो ट्रक अनुदानित खाद्यान्न गबन के मामले में अंकित किया गया कि गोदाम के आगत पंजी में दोनों ट्रकों की प्रविष्टी की गयी परन्तु भूलवश भंडार पंजी में नहीं किया जा सका था। जिसका आधार बनाकर अंकेक्षण दल द्वारा गोल-मटोल भौतिक सत्यापन कर उक्त खाद्यान्न की क्षति को दिखाया गया। श्री ठाकुर द्वारा वस्तुतः समर्पित बचाव पत्र की पुष्टि हेतु किसी भी प्रकार का साक्ष्य/तथ्य उपलब्ध नहीं कराया गया जो इनके विरूद्ध लगाये गये आरोप को खड़ित किया जा सकें। श्री ठाकुर के द्वारा समर्पित बचाव पत्र के समीक्षोंपरान्त मुख्यालय आदेश ज्ञापांक-1244 दिनांक-06.10.15 के द्वारा इनके विरूद्ध उपर्युक्त उल्लेखित आरोप के लिए विभागीय कार्यवाई संचालित की गयी।

संचालन पदाधिकारी-सह-उप महाप्रबंधक, क्रय एवं विधि के द्वारा दिनांक-24.11.17 को श्री चन्देश्वर नारायण ठाकुर के विरूद्ध चलाये गये विभागीय कार्यवाही के फलस्वरूप उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन/अधिगम के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आरोपी कर्मी के द्वारा समर्पित बचाव पत्र, जिला प्रबंधक, पटना के मंतव्य, आरोप पत्र, साक्ष्यों के गहन समीक्षा के उपरान्त इनके विरूद्ध सभी आरोप प्रमाणित करते हुए अंकित किया गया कि श्री ठाकुर द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में कार्य की अधिकता के कारण गोदाम अभिलेख की मासिक जाँच नहीं कराने का उल्लेख किया गया जो इनके द्वारा आरोप को स्वतः स्वीकार किया गया है एवं आरोपी कर्मी के द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे इनके बचाव पत्र की पुष्टि की जा सके। जिला प्रबंधक, पटना के द्वारा भी संचालित कार्रवाई में इनके द्वारा गोदाम अभिलेखों की ससमय जॉच नहीं कराये जाने के फलस्वरूप मुख्यालय स्तर से जाँच दल प्रतियुक्ति कर जाँच कराया गया। जिला प्रबंधक के द्वारा यह भी अंकित किया गया की दोनों गोदामों में भारी अनियमितता के लिए श्री ठाकुर सीधे तौर पर जवाब देह है।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम की छाया प्रति निगम मुख्यालय पत्रांक-4074 दिनांक-21.04.2018 के द्वारा श्री ठाकुर को उपलब्ध कराते हुए द्वितीय

बचाव पत्र समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया। श्री ठाकुर द्वारा निगम मुख्यालय, पटना में दिनांक–15.06.2018 को द्वितीय बचाव पत्र समर्पित किया गया। द्वितीय बचाव पत्र में श्री ठाकुर के द्वारा कोई नया तथ्य एवं पूर्व कथित तथ्यों की सम्पुष्टि हेतु पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। उनके द्वारा वस्तुतः मूल रूप से उन्हीं तथ्यों की पुनरावृति की गयी है, जो संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित बचाव पत्र में की गयी थी।

इनके द्वारा बचाव पत्र समर्पित कर अंकित किया गया कि आर०ओ० पंजी का मासिक जाँच कार्य की अधिकता के कारण इनके द्वारा नहीं करायी जा सकी, जो इनके द्वारा आरोप को स्वतः स्वीकार किया गया। वस्तुतः इनके द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं करते हुए में गोदाम के लेखा संबंधित अभिलेखों की जाँच नहीं करायी गयी इनके द्वारा जानबूझ कर गोदाम पंजी गायब कर तथ्यों एवं गबन को छिपाने का हर संभव प्रयास किया गया। इस प्रकार श्री ठाकुर द्वारा समर्पित बचाव स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः सम्यक समीक्षोपरान्त वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के Service Conduct and Disciplinary Rules 2001 की धारा 26(III)B के आलोक में निम्नवत् दण्ड अधिरूपित करते हुए विभागीयं कार्यवाही समाप्त किया जाता है:–

1. श्री चन्देश्वर नारायण ठाकुर के द्वारा निगम को पहुँचायी गयी भारी वित्तीय क्षति के लिए वृहत् दण्ड के रूप में इनको सेवान्तलाभ के अन्तर्गत भुगतेय उपादान एवं अव्यवहृत अवकाश के बदले नकद राशि को जब्त किया जाता है।
2. श्री ठाकुर के जब्त सेवान्त लाभ से टी०पी०डी०एस० गोदाम पुनपुन में गबन किया गया अनुदानित खाद्यान्न(गेहूँ)177,60.600 क्वी० की वसुली ब्याज सहित किया जायेगा। समायोजन के उपरान्त शेष बचे अतिरिक्त वसूलनीय राशि की वसूली हेतु श्री ठाकुर के विरूद्ध निलाम पत्र दर्ज करना सुनिश्चित किया जाय।
3. निलंबन अवधि में श्री ठाकुर जीवन यापन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा एवं उक्त अवधि पेंशन आदि लाभो के लिए विनियमित मानी जायेगी।

प्रबन्ध निदेशक के आदेश से।

ह0/–
उप महाप्रबंधक,प्रशासन।

ज्ञापांकः–03:02:79:01:18:– दिनांकः–

प्रतिलिपिः– श्री चन्देश्वर नारायण ठाकुर, तत्कालीन प्रभारी सहायक प्रबंधक, सम्प्रति सेवा निवृत चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी राज्य खाद्य निगम, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
उप महाप्रबंधक,प्रशासन।

ज्ञापांकः–03:02:79:01:18:– दिनांकः–

प्रतिलिपिः– जिला प्रबंधक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि उपर्युक्त दण्डादेश की प्रविष्टी श्री चन्देश्वर नारायण ठाकुर, तत्कालीन प्रभारी सहायक प्रबंधक, सम्प्रति सेवा निवृत चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी राज्य खाद्य निगम, पटना के सेवापुस्त में अंकित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन निगम मुख्यालय को उपलब्ध कराये।

ह0/–
उप महाप्रबंधक,प्रशासन।

ज्ञापांकः–03:02:79:01:18:– दिनांकः–

प्रतिलिपिः–उप महाप्रबंधक, दावा निगम मुख्यालय, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित। निदेश है कि श्री चन्देश्वर नारायण ठाकुर, तत्कालीन प्रभारी सहायक प्रबंधक, सम्प्रति सेवा निवृत चतुथ वर्गीय कर्मचारी राज्य खाद्य निगम, पटना के विरूद्ध उल्लेखित गबन के समतुल्य राशि ब्याज सहित वसूली की कार्रवाई प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जाय।

ह0/–
उप महाप्रबंधक,प्रशासन।

ज्ञापांकः–03:02:79:01:18:– 1951 दिनांकः– 14/12/19.

प्रतिलिपिः–सभी मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक/ उप महाप्रबंधक/सतर्कता पदाधिकारी/विपत्र लिपिक, निगम मुख्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

13.12.19
उप महाप्रबंधक,प्रशासन।